DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला | नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 9 फरवरी 2023 ---DATED----------

दिल्ली के प्रदूषण में 77 फीसदी की कमी आई

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान की रिपोर्ट पर समीक्षा बैठक में दी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को विंटर एक्शन प्लान की रिपोर्ट पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल समय से पहले पराली व कूड़ा जलाने पर रोक, धूल प्रदूषण पर नियंत्रण, वार रूम व ग्रीन एप को उन्नत बनाने से बेहतर परिणाम आए हैं। इससे राजधानी के प्रदूषण में करीब 77 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। ऐसा दिल्ली सरकार के बेहतर निर्णयों की वजह से हुआ है।

दिल्ली सचिवालय में गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, वन एवं वन्यजीव विभाग, डीएसआईआईडीसी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, राजस्व विभाग, जल बोर्ड, विकास विभाग, शिक्षा विभाग, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, आई एंड एफसी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में गोपाल राय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विंटर एक्शन प्लान के 15 बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इस बार सर्दियों में विशेष कदम उठाए गए। इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण कम हुआ। सरकार और विभिन्न विभागों के प्रमुखता के साथ काम करने का असर देखने को मिला है। हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। 2016 के मुकाबले प्रदूषण में 77 प्रतिशत की कमी आई है। दस साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध, ई-वाहन को बढ़ावा देने, निर्माण कार्यों पर रोक, ग्रीन एरिया बढ़ाना, पटाखों पर प्रतिबंध, पराली जलने पर रोक, ग्रीन वार रूम की स्थापना, औद्योगिक इकाइयों का पीएनजी से संचालन और सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों की वजह से हवा में सुधार हुआ है। इस बार 4329 एकड़ भूमि पर बायो-डीकंपोजर का छिड़काव भी किया गया।

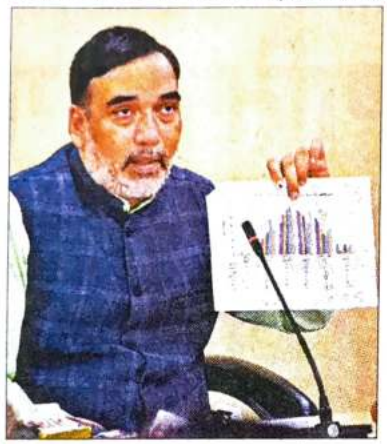

प्रदूषण के खिलाफ उठाए गए विशेष कदम

- अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक 32290 बार निर्माणाधीन साइट का निरीक्षण।
- धूल उड़ाने को लेकर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- 80 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीन कार्यरत हैं।
- 401 वाटर स्प्रिंकलर व टैंकर का इस्तेमाल।
- 193 स्टैटिक एंटी-स्मॉग गन लगाई।
- 169 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन ऊंची इमारतों पर लगाईं।
- 86,157 ई-वाहन पंजीकृत हुए।
- कूड़ा जलाने वाले 22162 स्थलों का निरिक्षण।
- 9.85 लाख रुपये की जुर्माना राशि लगाई।
- एफएम रेडियो चैनल पर ऑडियो जिंगल से अभियान चलाया।
- ग्रीन वार रूम एवं ग्रीन ऐप
- 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई।
- वेस्ट इंको पार्क दिल्ली के होलंबी कलां में जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बन रहा।
- 43 लाख पौधे लगाने व वितरण का लक्ष्य रखा जबकि लगाए 46 लाख।

डीडीए संरक्षित क्षेत्रों में जमीन आवंटित न करे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली रिज क्षेत्र फेफड़ों की तरह काम करता है जो शहरवासियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया कि वह संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित इलाकों में कोई जमीन आवंटित नहीं करे। अदालत ने कहा कि रिज के उन क्षेत्रों की पहचान करने में कुछ कठिनाई हुई है जो अधिसूचित नहीं हैं, लेकिन उनमें भी रिज जैसी विशेषताएं हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए समिति बनाने का निर्देश दिए जिन्हें अनुसूचित रिज के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता है। एजेंसी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI
9 फरवरी, 2023 ▸ गुरुवार

हमारे छात्र सीखने के लिए केवल किताबों पर निर्भर नहीं: सिसोदिया

शिक्षामंत्री ने तीन स्कूलों का दौराकर बच्चों से की पढ़ाई पर चर्चा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उपमुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली सरकार के तीन स्कूलों का दौरा किया। उपमुख्यमंत्री ने सर्वोदय कन्या विद्यालय सेक्टर-16 रोहिणी, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, रोहिणी सेक्टर-17 व सर्वोदय कन्या विद्यालय प्रह्लादपुर का दौरा कर वहां हैप्पीनेस क्लासरूम में शामिल हुए साथ ही उन्होंने बच्चों के साथ पढ़ाई व आगामी परीक्षाओं को लेकर उनकी तैयारियों को लेकर बात की।

इस मौके पर बच्चों के साथ चर्चा करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की टीम एजुकेशन की कड़ी मेहनत और एजुकेशन को लेकर प्रतिबद्ध लीडरशिप के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब सीखने-सीखाने का मतलब पूरी तरह से बदल गया है। हमारे स्कूलों में बच्चे सीखने के लिए केवल किताबों पर निर्भर नहीं है बल्कि स्कूल उन्हें मौका दे रहा है कि वो विभिन्न नए तरीको से कॉन्सेप्ट्स को एक्स्प्लोर करें। संवाद के दौरान बच्चों ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि हम अब बड़े सपने देखने लगे है, हमें विश्वास है कि हम उसे पूरा कर सकते है क्योंकि हमारे पास भी वो सभी सुविधाएं मौजूद है जो किसी अच्छे स्कूल में होती है।

▸▸ स्कूल में दौरे के दौरान एक छात्रा से बात करते मनीष सिसोदिया।

उपमुख्यमंत्री से साझा करते हुए एसओएसई रोहिणी सेक्टर-17 के छात्रों ने बताया कि उन्होंने भारतीय संविधान को पढ़कर व सीखकर अपने परिवार के लिए ही एक संविधान बनाया है और उसमें सबके कर्तव्य,जिम्मेदारी और हक निर्धारित किए हैं।यहां चर्चा के दौरान बच्चों ने बताया कि अब वो हर एक कॉन्सेप्ट्स को रिसर्च ओरिएंटेड तरीके से सीखते हैं और सीखने के लिए किताबों से इतर जाते हुए विभिन्न मॉड्यूल्स की प्रयोग करते हैं। उपमुख्यमंत्री ने देखा कि स्कूल में 9वीं क्लास के छात्र सरकार की नीतियों से सीखने के साथ-साथ अपने आस-पड़ोस के लिए कई नीतियां बना भी रहे हैं। इस पर सिसोदिया ने कहा कि ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतनी छोटी उम्र से ही हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे न केवल नीतियों को समझ रहे है बल्कि नीतियों का निर्माण भी कर रहे हैं, जो इस चीज का उदाहरण है कि हमारे बच्चों की पढाई केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है बल्कि वो अपने आसपास के वातावरण, वहां की समस्याओं, चुनौतियों से भी सीख रहे है और उन मुश्किलों-चुनौतियों को समझते हुए उन्हें दूर करने के लिए नीतियां बना रहे है, यही बच्चे भविष्य में देश के नीति निर्माता बनेंगे।

THE HINDU
Thursday, February 9, 2023
DELHI

DDA extends deadline for land pooling applications till March

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The total number of villages identified for land pooling has increased to 105, a DDA official said

Applications to express interest in the Delhi Development Authority's (DDA) land pooling policy are being welcomed yet again (till March 31), after the previous deadline for the sixth online window expired on December 31 last year.

Till date, 7,100 applicants, with close to 7,500 hectares of land – out of the total poolable land of 19,074 hectares – have expressed interest, said a senior DDA official. Simultaneously, the total number of villages identified for land pooling has increased to 105, after the Iradat Nagar village in Zone P-1 was notified to be added in November last year.

The 105 villages are divided into six zones and further divided into 129 sectors. No development works have commenced due to roadblocks in meeting the policy's eligibility criteria, a minimum participation rate of 70% along with 70% contiguous land.

While the legislative process for the proposed amendments to make land pooling mandatory remains ongoing, the parallel strategy of issuing conditional notices in eligible sectors is yet to bear fruit, despite extended deadlines. However, a senior DDA official said that landowners are close to forming consortiums, which has led to another extension in the deadline.

The DDA had issued the notices to the landowners, who had expressed interest in the policy, on condition that they negotiate and convince the remaining landowners to pool their land within a period of 90 days.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF N... नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 9 फरवरी • 2023 राष्ट्रीय सहारा

RGCI में ईडब्ल्यूएस रोगियों को मुफ्त चिकित्सा अगले माह से

- अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया, मार्च से आईपीडी में 10 फीसद एवं ओपीडी में 25 फीसद गरीब मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी
- हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद अस्पताल प्रशासन ने लिया निर्णय
- शर्तों के अनुसार किफायती दर पर जमीन लेकर गरीब मरीजों का इलाज नहीं किया जाना उनके साथ धोखा : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राजीव गांधी कैंसर अस्पताल (आईजीसीआई) ने उसे बुधवार को सूचित किया कि वह 1 मार्च से गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा। अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 10 फीसद रोगियों को इनपेशेंट विभाग (आईपीडी) में एवं बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में 25 फीसद तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए अस्पताल प्रशासन से कहा था कि अगर वह बुधवार से गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं करेगा तो उससे 20 साल का बकाया वसूल किया जाएगा। इसके बाद अस्पताल ने बुधवार को कोर्ट से गरीब मरीजों का 1 मार्च से मुफ्त इलाज किए जाने की जानकारी दी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अस्पताल प्रशासन के इस बयान पर गौर किया और उसे अपने बयान के अनुसार गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश दिया। पीठ ने इसके साथ ही इससे संबंधित याचिका को निपटा दिया। याचिकाकर्ता सोशल जूरिस्ट के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कोर्ट से कहा था की अस्पताल ने 25 फ़ीसदी गरीब मरीजों का इलाज करने की शर्त पर डीडीए से किफायती दर पर जमीन ले ली है। इसके बावजूद वह अपनी शर्तों के अनुसार गरीब मरीजों का इलाज नहीं कर रहा है। उसने इन शर्तों का पालन करवाने के लिए वर्ष 2018 में याचिका दाखिल की थी। साथ ही उस याचिका में गरीब मरीजों के मद में पैसे लेकर किए गए इलाज की पूरी वसूली करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। एक अनुमान के अनुसार गरीब मरीजों के कोटे में अभी तक इलाज की गई राशि का आकलन 500 करोड़ रुपए तक का हो सकता है।

हाईकोर्ट, ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा था की शर्तों के अनुसार किफायती दर पर जमीन लेकर गरीब मरीजों का इलाज नहीं किया जाना उनके साथ धोखा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल पिछले दो दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में है और 302 बिस्तरों की क्षमता के साथ काम कर रहा है। यह हमेशा ईडब्ल्यूएस रोगियों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के संबंध में तय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अस्पताल ने पिछले दो दशकों के दौरान ईडब्ल्यूएस रोगियों को बिल्कुल भी मुफ्त इलाज उपलब्ध नहीं कराकर अनुचित लाभ कमाया है।

याचिका के अनुसार अस्पताल इंद्रप्रस्थ कैंसर सोसाइटी एंड रिसर्च सेंटर चलाता है। उसे अस्पताल के निर्माण के लिए डीडीए द्वारा सार्वजनिक भूमि इस शर्त के साथ आवंटित की गई थी कि वे ईडब्ल्यूएस रोगियों को 10 फीसदी आईपीडी में और 25 फीसदी को ओपीडी में मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023 दैनिक जागरण ED---

अप्रैल अंत तक साफ हो जाएगी संजय झील, कर सकेंगे बोटिंग

निखिल पाठक • पूर्वी दिल्ली

त्रिलोकपुरी स्थित संजय झील की सफाई का काम आधा पूरा हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड ने झील की सफाई की शुरुआत सितंबर में की थी। पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए झील को दो मीटर अधिक गहरा किया जा रहा है। सफाई के बाद यहां सैर करने आने वालों के लिए बोटिंग की सुविधा दोबारा शुरू की जाएगी।

बच्चों के साथ बुजुर्ग भी बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर यह कार्य कर रहा है। डीडीए के अधिकारी के मुताबिक अप्रैल अंत तक सफाई का कार्य पूरा हो जाएगा।

3.3 किमी लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालनी शुरू की गई है साफ पानी पहुंचाने के लिए

53 एकड़ में फैली है झील, इसकी सफाई का टुकड़ों में किया जा रहा है काम

50 पार्कों में बिजली आपूर्ति की जा सकती है, संजय झील में बनने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र से

त्रिलोकपुरी स्थित संजय झील में चल रहा सफाई का कार्य • पारस कुमार

अधिकारियों के मुताबिक पार्क के अंदर झील 53 एकड़ में फैली हुई है। इसकी सफाई का काम टुकड़ों में किया जा रहा है। सफाई से पहले झील तीन से चार मीटर गहरी थी। पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए सफाई के दौरान झील को दो मीटर अधिक गहरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोंडली स्थित सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) से झील के लिए साफ पानी लिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने ट्रेंचलेस तकनीक से 3.3 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालनी शुरू कर दी है। सफाई के बाद पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।

यह है ट्रेंचलेस तकनीक: ट्रेंचलेस तकनीक में सड़क को लंबी दूरी तक खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। सड़क किनारे किसी एक स्थान पर ड्रैगर की मदद से बड़ा गड्ढा किया जाता है। इसके बाद उसमें कंप्रेशर के साथ जुड़ी ड्रैगर मशीन डालकर अंदर ही अंदर एक टनल बनाई जाती है। बाद में इसी टनल से लाइन के लिए चुने गए पाइप बिछा दिए जाते हैं। इससे पहले से बनी सड़क खराब नहीं होती।

झील में लगेगा तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने संजय झील में राष्ट्रीय राजधानी का पहला तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना तैयार की है। इस संयंत्र से लगभग एक से डेढ़ मेगावाट सौर ऊर्जा बनने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे डीडीए के 50 पार्कों में बिजली आपूर्ति की जा सकती है। इससे बिजली की समस्या भी खत्म होगी।

एसटीपी के पानी से होगा पार्क का सुंदरीकरण

डीडीए के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक एसआर बिश्नोई ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संजय पार्क बेहतरीन उदाहरण है। सिंचाई के लिए पहले सात-आठ ट्यूबवेलों का उपयोग किया जाता था। सफाई के बाद कोंडली स्थित एसटीपी से आने वाले साफ पानी से ही पार्क का सुंदरीकरण किया जाएगा।

एसआर बिश्नोई •

छह दशकों में पूरी तरह से बदल गया दक्षिणी दिल्ली का वसंत विहार

सोसायटी अंतर्कथा

रमेश मिश्र • नई दिल्ली

- सरकारी सेवा में तैनात शीर्ष लोग या सेना के अफसरों को प्लाट आवंटित
- पाश इलाके के कारण एम्बेसी के लोगों को खूब भाती है यह कालोनी

दक्षिणी दिल्ली का वसंत विहार क्षेत्र। नई दिल्ली के लुटियंस जोन के बाद यह इलाका राजधानी का सबसे वीवीआइपी इलाका है। 60 वर्ष पूर्व देश के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों एवं सेना के सर्वोच्च अफसरों के लिए डीडीए द्वारा एक आवासीय योजना लाई गई थी। आज यह दिल्ली की सबसे महंगी कालोनी में से एक है। करीब 20 वर्ष पूर्व डीडीए ने इन प्लाटों को फ्री होल्ड करने की योजना शुरू की।

इसके बाद से कालोनी का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया। यहां के वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि फ्री होल्ड के बाद से इस कालोनी का मूल स्वरूप खत्म हो गया। इससे जहां कुछ लोगों की राह आसान हुई, तो वहीं इसने कई समस्याओं को भी जन्म दिया।

वसंत विहार स्थित वसंत विहार क्लब • जागरण

1960 के दशक में इस कालोनी की **नींव पड़ी** : 1962 में इस सोसायटी की नींव पड़ी। यह एक गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्डिंग सोसायटी है। सोसायटी में जब इसकी मेंबरशिप खुली थी, तब सरकारी सेवा में तैनात शीर्ष लोग या सेना के उच्च अधिकारी ही इसमें आवदेन कर सकते थे। गैर सरकारी लोग इसके पात्र नहीं थे। करीब 1500 प्लाट आवंटित किए गए थे। इसमें अधिकतर सचिव व सेना के शीर्ष अफसर थे।

शंकर प्रसाद ने बताया कि आज इसमें शीर्ष अफसरों के साथ देश की कई अन्य बड़ी हस्तियों एवं पूंजीपतियों का रिहायस है। उन्होंने कहा कि इस कालोनी में अब मूल आवंटी नहीं के बराबर है। इसके साथ यह इलाका एम्बेसी को खूब भाता है। एक दर्जन से अधिक एम्बेसी इस इलाके में हैं।

उन्होंने कहा कि जब यह कालोनी बनी उस वक्त यहां की आबादी सीमित थी, जरूरतें सीमित थी, लेकिन बाद के दशकों में यहां की आबादी तेजी से बढ़ी।

संसाधनों पर भी पड़ रहा बढ़ी आबादी का दबाव

लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद (रजिस्टार आफ कोआपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष) ने बताया कि इन छह दशकों मे हमारी कालोनी में सब कुछ बदल गया है। 1500 प्लाटों की इस कालोनी मे एक लाख से अधिक लोग रहते हैं। असल दिक्कत तब शुरू हुई, जब डीडीए ने इन प्लाटो को फ्री होल्ड की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद यहा कई मंजिला बिल्डिंग खड़ी होना शुरू हो गई। इसके साथ एक मकान मे रहने वालों की संख्या भी बढ गई। जाहिर है कि इस बढी आबादी का दबाव यहा के निश्चित संसाधनों पर भी पड़ा। कालोनी मे कई तरह की समस्याए और चुनौतिया बढी है। कालोनी के पास संसाधन 1500 प्लाट के सीमित लोगो के लिए ही थी, लेकिन यहा की संख्या तेजी से बढी। इससे मांग और आपूर्ति का संतुलन गड़बड़ा गया।

लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद •

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS: दैनिक जागरण नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023 DATED

एक मार्च से राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में गरीब वर्ग को मिलेगा मुफ्त इलाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : रोहिणी स्थित राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को एक मार्च से मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष अस्पताल के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि एक मार्च से बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में 25 प्रतिशत और इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (आइपीडी) में 10 प्रतिशत तक गरीब मरीजों को निश्शुल्क इलाज मुहैया होगा। आइपीडी में ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए 31 बिस्तर उपलब्ध होंगे।

पीठ ने कहा कि अस्पताल को अपने बयान पर कायम रहते हुए गरीबों को निश्शुल्क इलाज देना होगा। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया। गैर सरकारी संस्थान सोशल जूरिस्ट ने वर्ष 2018 में अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया था कि अस्पताल को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आवंटन में शर्त थी कि अस्पताल को गरीब रोगियों को निश्शुल्क इलाज उपलब्ध कराना होगा। प्रविधान के तहत आइपीडी में 10 फीसदी और ओपीडी में 25 फीसदी की सीमा तय की गई थी, लेकिन अस्पताल में ऐसा नहीं किया जा रहा। वर्ष 2007 में हाई कोर्ट व जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी रियायती दरों पर जमीन लेने वाले अस्पतालों को इसी अनुपात में निश्शुल्क इलाज करने के आदेश दिए थे। अस्पताल ने पिछले दो दशकों में किसी भी गरीब मरीज का मुफ्त इलाज नहीं किया और अनुचित मुनाफा कमाया है। एनजीओ ने मांग की थी कि भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार अस्पताल में गरीब मरीजों को तुरंत मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए। अस्पताल द्वारा कमाए गए अवांछित लाभ की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए।

हाई कोर्ट • जागरण आर्काइव

- ओपीडी में 25 और आइपीडी में दस प्रतिशत ईडब्ल्यूएस मरीजों को मिलेगी सुविधा
- एनजीओ सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

> लंबे समय से लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई गरीब कैंसर पीड़ितों की जीत है। उम्मीद है कि अदालत के आदेश के बाद गरीब कैंसर पीड़ितों को निश्शुल्क इलाज मिल सकेगा। इससे आम नागरिकों को मदद मिलेगी।
>
> **अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

नरेला। अलीपुर। समयपुर बादली। यादव नगर। बवाना। कादीपुर। शाहबाद डेयरी। स्वरूप नगर। भलस्वा डेयरी। सुल्तानपुरी। मंगोलपुरी। नांगलोई। मुंडका। नजफगढ़। कंझावला। टीकरी बॉर्डर। बापरौला। रणहौला। बुद्ध विहार। लामपुर। बाजितपुर ठाकरान। जहांगीरपुरी। कुतुबगढ़। घोघा डेयरी। बांकनेर। बख्तावरपुर। ताजपुर। बुढ़पुर।

पुरानी कॉलोनियों के रीडिवेलपमेंट की कोशिशें कई बार हुईं नाकाम

आबादी बढ़ने और सुविधाएं सीमित रहने की वजह से बढ़ी समस्या

इस वजह से भूकंप के प्रति और भी संवेदनशील हो रही है राजधानी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

बीते कई सालों में राजधानी की आबादी बेहिसाब बढ़ी है। अनधिकृत कॉलोनियां भी बढ़ी हैं। नियमित कॉलोनियों में बिल्डर फ्लैट के चलन से भी आबादी कई गुना बढ़ रही है। आबादी के बढ़ने और सुविधाओं के सीमित रहने की वजह से सिस्मिक जोन-4 में शामिल राजधानी प्रकृतिक आपदाओं के लिए और संवेदनशील हो रही है।

इस समस्या को दूर करने के लिए राजधानी में कई स्तरों पर प्लानिंग हुई। रीडिवेलपमेंट प्लान भी बने, लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लैंड पूलिंग पॉलिसी रहा। इसके तहत एक भी सेक्टर अबतक फाइनल नहीं हो पाया है।

रीडिवेलपमेंट के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं: अधिकारियों के अनुसार, लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 में नोटिफाई हुई। लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सकी है।

बिल्डिंग बायलॉज सख्ती से लागू नहीं हो पाते : एक्सपर्ट

डीडीए के पूर्व कमिश्नर (प्लानिंग) ए के जैन ने बताया कि राजधानी की 50 प्रतिशत से अधिक बिल्डिंग के लिए प्लान नहीं है। गांव में निर्माण पर कोई रोक-टोक नहीं है। 2007 में एक कमिटी बनी थी, जिसने 80 प्रतिशत बिल्डिंग अनसेफ बताई है। डीडीए फ्लैट्स में भी ऑपरेशन काफी अधिक हो रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज सख्ती से लागू हो नहीं पाते। 2021 के मास्टर प्लान में अहम भूमिका निभा चुके ए के जैन ने बताया कि उन्होंने सुझाव दिया था कि गांव, पुरानी दिल्ली, अनधिकृत कॉलोनियों में 100 स्क्वल पुरानी बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए।

पूर्व प्लानिंग कमिश्नर सब्यसाची दास ने बताया कि डीडीए एक्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं, वह काफी पहले हो जाने चाहिए थे। यह रीडिवेलपमेंट के लिए जरूरी है। ऊर्जा के पेजिडेंट अतुल गेयल के अनुसार, चार से पांच दशक पुरानी बनी कॉलोनियों के लिए रीडिवेलपमेंट प्लान जरूरी है। लेकिन इसके लिए डीडीए को लोगों के साथ मिलकर नियम बनाने होंगे।

इसकी दो सबसे बड़ी बाधाएं यह हैं कि इसमें 70 प्रतिशत भूमालिकों का एक साथ आना और 70 प्रतिशत जमीन एक जगह मिलना जरूरी है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 में एफएआर बढ़ाकर पुरानी बिल्डिंगों को रीडिवेलप करने का प्लान है। इससे कॉलोनियों में बसी आबादियों के लिए ऊंची इमारतें बनेंगी। इससे बची जगहों पर जनसुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इससे यहां पार्किंग, सड़कें, हेल्थ सर्विसेज, पर्क आदि के लिए जगह बचेगी। अगस्त-2022 में शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी रीडिवेलपमेंट में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसे मंजूरी मिलती है तो एक बड़ी अड़चन खत्म होगी।

क्यों है जरूरत : राजधानी की घनी आबादी वाली कॉलोनियों में इस समय बिल्डर फ्लैट्स का चलन तेजी से फलफूल रहा है। 50 से 200 गज जमीन पर चार मंजिला इमारत में ये लोग कई फ्लैट्स बना देते हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स का न लेआउट प्लान होता है, न ही क्वॉलिटी चेक। यह भूकंपरोधी हैं या नहीं, यह तो काफी बाद में **आता है।**

NBT नजरिया

दिल्ली की कॉलोनियों और हाउसिंग सोसायटियों के रीडिवेलपमेंट के काम को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। आए दिन पुरानी खतरनाक इमारतें बिना किसी भूकंप के गिर रही हैं। इस बारे में अगर डीडीए के नियम कानूनों को लेकर तकनीकी अड़चनें हैं तो इसे एलजी के स्तर पर देखा जाना चाहिए और कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। देश के कई दूसरे बड़े शहरों में ऐसी योजनाओं पर कामयाबी से काम हुआ है। पीपीपी मॉडल पर इसे करने से सभी को फायदा होगा और लोगों की जान-माल का रिस्क भी कम होगा।

हिन्दुस्तान

'रिज क्षेत्र राजधानी के लिए फेफड़ा'

टिप्पणी

नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली का रिज इलाका राजधानी के निवासियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले फेफड़े की तरह काम करता है।

इस टिप्पणी के साथ उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में कोई जमीन आवंटित नहीं करे। अदालत ने कहा कि रिज के उन क्षेत्रों की पहचान करने में कुछ कठिनाई हुई है जो अधिसूचित नहीं हैं, लेकिन उनमें रिज जैसी विशेषताएं भी हैं। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) को एक समिति बनाने का निर्देश दिया, जिसमें एमओईएफ के संयुक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली वन विभाग और भूवैज्ञानिक विभाग के एक-एक प्रतिनिधि शामिल हों। सर्वे ऑफ इंडिया, डीडीए और रिज प्रबंधन बोर्ड का एक- एक नामित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तौर-तरीकों पर काम करेगा।

डीआरआई को प्लॉट आवंटित किया गया था

शीर्ष अदालत का आदेश वित मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के एक आवेदन को अनुमति देते हुए आया, जिसमें वसंत कुंज में डीआरआई मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 6,200 वर्गमीटर मोर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र को बदलने की अनुमति मांगी गई थी। डीडीए द्वारा डीआरआई को जमीन का प्लॉट आवंटित किया गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023 दैनिक जागरण 17

DATED

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, रिज की जमीन अलाट न करे डीडीए

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि दिल्ली के रिज क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित किसी भी जमीन को अलाट नहीं किया जाए। कोर्ट ने कहा कि शहर के निवासियों के लिए दिल्ली रिज शुद्ध हवा देकर फेफड़े का काम करता है। अदालत ने संज्ञान लिया कि गैर अधिसूचित रिज क्षेत्र की पहचान करने में परेशानी होती है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने बुधवार को पर्यावरण और वन मंत्रालय को एक समिति बनाने को कहा जिसमें संयुक्त सचिव तक की रैंक के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। इस समिति में दिल्ली वन विभाग, जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया और डीडीए का एक-एक प्रतिनिधि होना चाहिए। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधिकारी इस समिति के संयोजक और अध्यक्ष होंगे। समिति अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अदालत में 15 मार्च से पहले दे देगी।

कोर्ट ने कहा कि हरियाली वाला रिज क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए शुद्ध हवा देने के मामले में फेफड़े का काम करता है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में डीआरआइ मुख्यालय के कार्यालय बिल्डिंग के लिए 6,200 वर्ग मीटर के मार्फोलोजिकल रिज क्षेत्र पर पहले से ही विकसित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता दूर करने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिज के संरक्षण के लिए 1995 में दिए आदेश के बाद उच्च स्तरीय रिज प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया था। मार्फोलोजिकल रिज, रिज क्षेत्र का वह हिस्सा है, जिसमें रिज जैसी विशेषताएं हैं लेकिन अधिसूचित वन का हिस्सा नहीं है। यह अरावली के विस्तार का एक हिस्सा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, FEBRUARY 9, 2023

NAME OF NEWSPA ED----------

Lost world: MCD to bring dinosaurs to park near you

Piyal Bhattacharjee

LG lays the foundation stone for Waste-To-Wonder Park Phase II

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Following the success of Waste-to-Wonder Park at Sarai Kale Khan, Municipal Corporation of Delhi (MCD) on Wednesday laid the foundation stone of its Phase II, which will be themed on dinosaurs.

Being developed on 3.5 acres within the main complex, it will have 15 movable and standing structures of dinosaurs made out of 250 tonnes of scrap materials, and will have a common entry, said an official. "Phase I highlights the concept of 'waste to wealth' through the replicas of Seven Wonders of the World made from waste and scrap, and MCD will carry forward the concept in phase II," he added.

The new area, the foundation stone for which was laid by lieutenant governor VK Saxena on Wednesday, will have structures of dinosaurs such as coelophysis, brontosaurus, velociraptor, tsintaosaurus, deinosuchus, deinonychus, rajasaurus, prenocephale, ankylosaurus, triceratops, amargasaurus, spinosaurus, tyrannosaurus, diplodocus and stegosaurus.

"We will re-define the route for visiting the whole complex in such a manner that the visitors can cover the wonders of the world and then enter the dinosaur park. The ticket price will go up, but the entry will be the same for the entire complex," said the official. The park will cost Rs 13.7 crore and MCD targets to complete it in six months after awarding the project.

The park will also be illuminated by ornamental lighting and have aesthetic sound to make it more attractive, said officials. "The landscaping will be done by planting trees, shrubs, grass and ornamental plants. It will have sitting facilities, connecting the walkway to all sculptures, garden huts and a food court for the visitors," said the official.

The civic body aims to develop a parking facility and install solar panels to make the park energy-efficient after the work for Regional Rapid Transit System (RRTS) is completed. "A portion of the site near the entrance is occupied for the RRTS work. As soon as the work is completed, a parking project can be taken up," said the official, adding that a patch of Delhi Development Authority land next to the park may also be considered for the project.

During the event, the LG also flagged off four tree-pruning hydraulic lift machines for MCD. With the help of hydraulic buckets fitted to these machines, workers will be able to prune big trees in a safe and easy way, said officials.